रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 1973/चैत्र 13, 1895

No. 81] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 1973/CHAITRA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd April 1973

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by Section 79, read with sub-section (3) of Section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tourist Baggage Rules, 1958, namely:—

(1) These rules may be called the Tourist Baggage (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the said rules, in sub-rule (3), in clause (ii), for the figures and word "0.75 litre", the figures and word "0.95 litre" shall be substituted.

[No. 57/F.No. 499/1/73-Cus.VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 3 अप्रैल 1973

सा० का० नि० 194 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पर्यटक–सामान नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम पर्यटक सामान (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (ii) में "0.75 लिटर" अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "0.95 लिटर" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 57/फा० सं० 499/1/73–सीमा शुल्क VI]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973